



कायालय-प्राचाय

सत्यनारायण अग्रवाल शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय

कोहका-नेवरा, जिला-रायपुर (छ.ग.) पिन-493114

E-mail : gdc.kohka@gmail.com, Website : gdckohka.ac.in

कोहका, दिनांक 09/09/2024

## अजा/अजजा/अपिव वर्ग हेतु छात्रवृत्ति सूचना

महाविद्यालय के समस्त विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि सत्र 2024-25 में अजा/अजजा/अपिव वर्ग हेतु पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के ऑनलाईन आवेदन, अजा, अजजा एवं अपिव कल्याण विभाग, छ.ग. शासन के पोर्टल [postmatric-scholarship.cg.nic.in](http://postmatric-scholarship.cg.nic.in) के माध्यम से भरे जाने हैं। संबंधित विद्यार्थी उक्त पोर्टल में अपना पंजीयन नवीन/नवीनीकरण करावें एवं छात्रवृत्ति फार्म भरकर हार्डकॉपी आवश्यक सहपत्रों सहित कार्यालय में दिनांक 20/09/2024 से कु. भूमि साहू, कम्प्यूटर ऑपरेटर के पास दोपहर 03.00 बजे से 04.30 तक जमा करें।

आवश्यक सहपत्र निम्नानुसार व्यवस्थित कर संलग्न करें -

1. ऑनलाईन छात्रवृत्ति आवेदन की हार्डकॉपी (प्रवेश क्रमांक लिखकर)।
2. वर्ष 2024-25 से अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को अनिवार्य रूप से OTR की प्रविष्टि ऑनलाईन आवेदन करते समय की जानी है। OTR के संबंध में पृथक से सूचना जारी की जा चुकी है।
3. प्रवेश शुल्क रसीद की स्वयं सत्यापित छायाप्रति।
4. वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु जारी आय प्रमाण पत्र की मूल प्रति।
5. अभिभावक के कुल आय को सत्यापित करने, अभिभावक के शासकीय सेवा में न होने एवं किसी प्रकार की अन्य छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं करने हेतु नोटराईज शपथ-पत्र रु. 10 के स्टाम्प पेपर में। (नवीनीकरण के छात्रों हेतु अनिवार्य नहीं)
6. विद्यार्थी का राष्ट्रीयकृत बैंक खाते (जो आधार कार्ड से सीडिंग हो) के पासबुक की प्रथम पृष्ठ की स्वयं सत्यापित छायाप्रति। (पासबुक की छायाप्रति में छात्र स्वयं सत्यापित करें कि उनका उक्त बैंक खाता आधार कार्ड से सीडिंग है।)
7. बैंक खाता पासबुक में जुलाई-2024 से ऑनलाईन आवेदन तिथि तक के मध्य लेन-देन की नवीनतम प्रविष्टि पृष्ठ की छायाप्रति।
8. जाति एवं मूल निवास प्रमाण पत्र की स्वयं सत्यापित छायाप्रति।
9. आधार कार्ड की स्वयं सत्यापित छायाप्रति।
10. विगत उत्तीर्ण परीक्षा अंकसूची की स्वयं सत्यापित छायाप्रति।

नोट :-

1. प्रस्तुत किये जा रहे दस्तावेज उपरोक्तानुसार व्यवस्थित कर आवेदन के साथ जमा करें।
2. एक सत्र में विद्यार्थी छात्रवृत्ति योजना की किसी एक योजना हेतु ही आवेदन प्रस्तुत करें। एक से अधिक छात्रवृत्ति योजना हेतु आवेदन प्राप्त होने पर छात्रवृत्ति आवेदन अस्वीकृत किये जा सकते हैं।
3. पो.मै. छात्रवृत्ति हेतु नवीन आवेदन प्रस्तुत करने वाले विद्यार्थियों का राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता जो कि खाताधारक के आधार कार्ड से लिंक होना अनिवार्य है।
4. छात्रवृत्ति नवीनीकरण आवेदक यदि विगत वर्ष दिये खाता क्रमांक को परिवर्तन करते हैं तो उन्हें भी बैंक में खाते को आधार कार्ड से लिंक कराना अनिवार्य होगा।

  
10.09.24  
UC PRINCIPAL

(S.N.A. Govt. Arts & Commerce College  
Kohka-Neora, Distt.-Raipur (C.G.))